कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार वाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) परिसर में चाहरदीवारी निर्माण में निकली पुरानी ईंटो की नीलामी की जानी है पुरानी ईटे ढ़ेर के रूप में रखी है। उक्त नीलामी की कार्यवाही को किये जाने हेतु दिनांक 04-09-2023 दिन सोमवार समय 04:30 बजे नियत की जाती है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय हापुड़ में उपस्थित होकर नियत जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तो या अन्य प्रकार की जानकारी हेतु केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़ से कार्यालय समय 10:00 से 05:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्ते–

1. सभी उपस्थित बोली दाताओं की नीलामी से पूर्व केन्द्रीय नजारत , जनपद न्यायालय हापुड़ में धरोहर धनराशि अंकन 30,000 रूपये नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट एवं चैक जो जनपद न्यायाधीश हापुड़ के नाम होगा, प्रतिभूति के रूप में जमा कराना होगा। नीलामी समाप्ति पर यदि उसके नाम नीलामी नही होती है तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
2. नीलामी हेतु गठित की गयी नीलामी समिति द्वारा सरकारी बोली/न्यूनतम बोली अंकन 1,15,000 रूपये निश्चित की गयी है। तथा नीलामी के इच्छुक व्यक्ति को उससे अधिक बोली बोलनी होगी।
3. सभी उपस्थित बोली दाताओं में सबसे अधिक बोली बोलने व्यक्ति को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि बोली स्थल पर ही नगद जमा करनी होगी, तथा शेष धनराशि बोली का अनुमोदन होने के उपरान्त अन्दर तीन दिन में जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय में समस्त धनराशि नही जमा करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. वाह्य न्यायालय गढ़मुक्तेश्वर की पुरानी दीवारो की नई चाहरदीवारी निर्माण में निकली पुरानी ईटों को उठाने से पूर्व सफल बोलीदाता नीलामी प्राप्तकर्ता को अनुमति पत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर ही चाहरदीवारी में निकली ईटो का निस्तारण किया जाना होगा।
5. नीलामी प्राप्तकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारंभ करने की तिथि से ईटो को उठाने की अन्तिम निकासी की तिथि तक सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नही पहुचाया जायेगा। नुकसान होने पर समस्त उत्तरदायित्व नीलामी प्राप्तकर्ता का होगा।
6. माननीय जनपद न्यायाधीश हापुड़ द्वारा बिना किसी कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
7. नीलामी में भाग लेने वाले प्रप्येक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का आधार कार्ड/पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की स्वहस्ताक्षरित प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।
8. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय हापुड़ का होगा।
9. नीलामी क्रेता उपस्थित बोली दाताओं को नीलामी सम्बन्धित समस्त औपचारिकताये स्वंय पूर्ण करनी होगी।
10. उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन न करने की दशा में चाहरदिवारी निर्माण में निकली पुरानी ईटों की नीलामी का विक्रय रद्द समझा जायेगा।

दिनांक–19–08–2023

19-08-2023

(उमाकान्त जिन्दल)
अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
हापुड़।